

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 126 / 2022 दिनांक : 14.01.2022

श्री धर्मेन्द्र सिंह जाखड़ (RJ0941), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, टोंक को दिनांक 29.11.2021 से 01.12.2021 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 27.11.2021 से 28.11.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किये जाते हैं ।

श्री जाखड़ की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, टोंक के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से  
14.01.2022  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/110/2015/32\

दिनांक : 14.01.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 125 दिनांक 03.01.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्री धर्मेन्द्र सिंह जाखड़ (RJ0941), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, टोंक ।
4. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, टोंक ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक ।

14.1.2022  
सहायक रजिस्ट्रार